



checked

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-15/2020- 444 दिनांक : 14/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/राँची वन प्रमंडल, राँची/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/ दुमका वन प्रमंडल, दुमका/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/ देवघर वन प्रमंडल, देवघर/ /गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/ रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग/ वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची/ उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य, बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रु0 272.777 (दो करोड़ बहत्तर लाख सतहत्तर हजार सात सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2020-16/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-33/2020-07/आ0 व0प0 दिनांक 27.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 272.777 (दो करोड़ बहत्तर लाख सतहत्तर हजार सात सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110140010103	247.731
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110140010323	25.046
कुल :-		272.777

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख)** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110140010103 एवं 19S24060110140010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुनर्जनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

5. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

7. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए गये हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

8. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy पूर्व में उपलब्ध कराई गयी है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।
9. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे० में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
14. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।
15. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

- (i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।
- (ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
- (iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।
- (iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।



(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैटन पर तैयार करायें।

(VI) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(VIII) कंडिका- VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

18. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वितीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(iv) कंडिका-19 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

21. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

23. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

25. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

26. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) बड़े अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संघारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2020- 444 दिनांक- 14/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/दुमका/बोकारो/हजारीबाग/मेदिनीनगर/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ दुमका/ देवघर/ बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/मेदिनीनगर/गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2020- 444 दिनांक- 14/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ गुमला/ खूँटी/डोरण्डा, राँची/ लोहरदगा/ जमशेदपुर/ दुमका/ साहेबगंज/ देवघर/ गोड्डा/ बोकारो/ रामगढ़/ धनबाद/गिरिडीह/ हजारीबाग/ कोडरमा/ चतरा/ मेदिनीनगर/ लातेहार/ गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			7067.19	1140.00	8207.19
(क)	दुमका रीजन				0.000
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	200	14.134	2.280	16.414
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	200	14.134	2.280	16.414
3	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	100	7.067	1.140	8.207
योग:-		500	35.335	5.700	41.035
(ख)	बोकारो रीजन				
4	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	150	10.601	1.710	12.311
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	150	10.601	1.710	12.311
योग:-		300	21.202	3.420	24.622
(ग)	हजारीबाग रीजन				
6	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	150	10.601	1.710	12.311
7	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	100	7.067	1.140	8.207
योग:-		250	17.668	2.850	20.518
(घ)	पलामू रीजन				
8	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	250	17.668	2.850	20.518
9	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	100	7.067	1.140	8.207
10	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	10.601	1.710	12.311
11	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	150	10.601	1.710	12.311
योग:-		650	45.937	7.410	53.347
(ङ.)	वन्यप्राणी प्रभाग				
12	वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग	247	17.456	2.816	20.272
13	वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची	100	7.067	1.140	8.207
14	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	150	10.601	1.710	12.311
योग:-		497	35.124	5.666	40.790
कुल योग:-		2197	155.266	25.046	180.312

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			3735.96	0.00	3735.96
(क)	राँची रीजन				0.000
1	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	75	2.802	0.000	2.802
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	150	5.604	0.000	5.604
3	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	50	1.868	0.000	1.868
4	राँची वन प्रमण्डल, राँची	100	3.736	0.000	3.736
5	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	75	2.802	0.000	2.802
	योग :-	450	16.812	0.000	16.812
(ख)	जमशेदपुर रीजन				
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	50	1.868	0.000	1.868
	योग :-	50	1.868	0.000	1.868
(ग)	दुमका रीजन				
7	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	250	9.340	0.000	9.340
8	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	50	1.868	0.000	1.868
	योग :-	300	11.208	0.000	11.208
(घ)	बोकारो रीजन				
9	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	200	7.472	0.000	7.472
10	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	50	1.868	0.000	1.868
	योग :-	250	9.340	0.000	9.340
(ङ.)	हजारीबाग रीजन				
11	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50	1.868	0.000	1.868
12	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	100	3.736	0.000	3.736
13	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	3.736	0.000	3.736
	योग :-	250	9.340	0.000	9.340
(च)	पलामू रीजन				
14	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	165	6.163	0.000	6.163
15	लातेहार वन प्रमण्डल	100	3.736	0.000	3.736
16	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50	1.868	0.000	1.868
	योग :-	315	11.767	0.000	11.767
(छ)	वन्यप्राणी प्रभाग				
17	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	100	3.736	0.000	3.736
18	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	330	12.329	0.000	12.329

क्र.सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			3735.96	0.00	3735.96
19	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	330	12.329	0.000	12.329
20	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	100	3.736	0.000	3.736
योग :-		860	32.130	0.000	32.130
कुल योग		2475	92.465	0.000	92.465

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

311.33

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	622.66	640.00	1262.66	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1369.85	0.00	1369.85	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	5	1556.65	0.00	1556.65	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1245.32	0.00	1245.32	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2272.71	0.00	2272.71	ट्रेन्च घेरान की मरम्मत
	योग—		22.70	7067.19	1140.00	8207.19	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 311.33रु0

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हे0)

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 311.33					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	3735.96	0.00	3735.96	
	कुल	12	3735.96	0.00	3735.96	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-15/2020_A/444

दिनांक - 14-Jun-2021

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलीकल्चर ऑपरेशन 01-सिविलीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26259	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	280,200.00 रुपये दो लाख अस्सी हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलीकल्चर ऑपरेशन 01-सिविलीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26263	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	560,400.00 रुपये पाँच लाख साहट हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलीकल्चर ऑपरेशन 01-सिविलीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26268	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	186,800.00 रुपये एक लाख छियासी हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये दस लाख सत्ताइस हजार चार सौ

1,027,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिन्त्रिकल्चर ऑपरेशन 01-मिन्त्रिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26271	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	373,600.00 रुपये तीन लाख तीहत्तर हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिन्त्रिकल्चर ऑपरेशन 01-मिन्त्रिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26275	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	280,200.00 रुपये दो लाख अस्सी हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिन्त्रिकल्चर ऑपरेशन 01-मिन्त्रिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26278	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	186,800.00 रुपये एक लाख छियासी हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये अठारह लाख अडसठ हजार

840,600.00

क्रमिक योग:

1,868,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCC DEV JHARKHAND

RANCH

Run Date: 14/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26280	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	2,347,400.00 रुपये तेइस लाख सैतालीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26284	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	186,800.00 रुपये एक लाख छियासी हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26287	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	1,413,400.00 रुपये चौदह लाख तेइस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये अठावन लाख पंद्रह हजार छः सौ

3,947,600.00

क्रमिक योग:

5,815,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26289	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	706,700.00 रुपये सात लाख छः हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26290	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	1,060,100.00 रुपये दस लाख साहठ हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26291	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	1,060,100.00 रुपये दस लाख साहठ हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये छियासी लाख बयालीस हजार पाँच सौ

2,826,900.00

क्रमिक योग:

8,642,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26293	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	747,200.00 रुपये सात लाख सैतालीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26295	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	186,800.00 रुपये एक लाख छियासी हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26296	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICER EAST 03 - मजदूरी	1,246,900.00 रुपये बारह लाख छयालीस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड आठ लाख तेइस हजार चार सौ

2,180,900.00

क्रमिक योग:

10,823,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26297	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	706,700.00 रुपये सात लाख छः हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26298	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	373,600.00 रुपये तीन लाख तीहत्तर हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-मिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26300	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	373,600.00 रुपये तीन लाख तीहत्तर हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड़ बाइस लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ

1,453,900.00

क्रमिक योग:

12,277,300.00

(RANJ KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्जिकल्चर ऑपरेशन 01-सिव्जिकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26301	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	2,383,100.00 रुपये तेइस लाख तिरयासी हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्जिकल्चर ऑपरेशन 01-सिव्जिकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26302	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	1,080,300.00 रुपये दस लाख अस्सी हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्जिकल्चर ऑपरेशन 01-सिव्जिकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26303	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	1,060,100.00 रुपये दस लाख साठ हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड अडसठ लाख आठ सौ

4,523,500.00

क्रमिक योग:

16,800,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. DEPT. SECY. JHARKHAND

RANCH

Run Date: 14/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्जिकल्चर ऑपरेशन 01-सिव्जिकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26304	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	1,246,900.00 रुपये बारह लाख छयालीस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्जिकल्चर ऑपरेशन 01-सिव्जिकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26305	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 03 - मजदूरी	2,119,200.00 रुपये इक्कीस लाख उन्नीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्जिकल्चर ऑपरेशन 01-सिव्जिकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26306	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	706,700.00 रुपये सात लाख छः हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड आठ लाख तीहत्तर हजार छः सौ

4,072,800.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

20,873,600.00

ADDL. PCCF DEV. (HARKHAND)

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 01-सिविकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26307	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS रुपये बारह लाख बत्तीस हजार नौ मो DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	1,232,900.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 01-सिविकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26308	PLMFOR068 MUKESH KUMAR रुपये बारह लाख बत्तीस हजार नौ मो DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	1,232,900.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 01-सिविकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	26309	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR रुपये चौदह लाख तैतीस हजार मात मो (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 03 - मजदूरी	1,433,700.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड सैतालीस लाख तीहत्तर हजार एक मो

3,899,500.00

क्रमिक योग:

24,773,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PRCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26310	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,000.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26311	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,000.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26312	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड तीरपन लाख तीरयालीस हजार एक सौ

570,000.00

क्रमिक योग:

25,343,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवर्तित राशि
31	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्वर ऑपरेशन 01-सिविकल्वरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26313	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्वर ऑपरेशन 01-सिविकल्वरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26314	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्वर ऑपरेशन 01-सिविकल्वरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26315	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICER EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड अठावन लाख छप्पन हजार एक सौ

513,000.00

क्रमिक योग:

25,856,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADOL PCCF DEV JHARKHAND

RANCH

Run Date: 14/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्निक्लर ऑपरेशन 01-सिव्निक्लर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26316	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्निक्लर ऑपरेशन 01-सिव्निक्लर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26317	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	285,000.00 रुपये दो लाख पचियासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिव्निक्लर ऑपरेशन 01-सिव्निक्लर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26318	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड तीसठ लाख उनहत्तर हजार एक सौ

513,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

26,369,100.00

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26319	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
38	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26320	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
39	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26321	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	281,600.00 रुपये दो लाख इक्क्यासी हजार छः सौ
योग:				623,600.00
क्रमिक योग:				26,992,700.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCDE DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26323	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
41	S 19 24060110140010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	26324	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड बहत्तर लाख सित्योत्तर हजार सात सौ

285,000.00

क्रमिक योग:

27,277,700.00

(NANO KISHORE SINGH)

ADDI_PCCF_DEV_JHARKHAND